

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 3 मुआवजे की राशि कम प्राप्त हुई**

1	Ram-13	रायसिंह / जोत्या / रामपुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	मुआवजा गणना पत्रक क्र. 19 पर मकान की मुआवजा 19633 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 19633 भुगतान की गई है।	
---	--------	----------------------------	---	---	---	---	--

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

1	Ram-1	कमलीबाई / रंगजी / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	मुआवजा गणना पत्रक क्र. 15 पर मकान की आवेदक को मुआवजा ग.प.क्र. 18 पर मकान की मुआवजा राशि 14186 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए के प्रकरण क्र. 13787 दि. 02.05.06 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं। ग्राम की कृषि भूमि एवं मुख्य आबादी डूब प्रभावित नहीं है। आवेदक मुख्य आबादी में निवास करता है। पात्रता नहीं	
2	RAM-12	गोविंदसिंह / लक्ष्मण / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को मुआवजा गणना पत्रक क्र. 02 पर मकान की मुआवजा राशि 40237 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20769 आदेश दि. 17. 06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य	आवेदक अवयस्क होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
3	Ram-11	लक्ष्मण / जोत्या / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक मुआवजा गणना पत्रक क्र. 02 पर मकान की मुआवजा राशि 40237 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 13784 आदेश दि. 02. 05.06 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
4	Ram-10	बीनाबाई / भावनसिंह / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका के पति को मुआवजा गणना पत्रक क्र. 22 पर मकान की मुआवजा राशि 21878 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 13968 आदेश दि. 02. 05.06 द्वारा पति को पुनर्वास अनुदान अमान्य	आवेदिका के पति का अनुदान प्रकरण जी.आर.ए द्वारा भी अमान्य किया गया। ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

5	4	बिरमल / बसु / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्र. 5 पर मकान की मुआवजा राशि 37959 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
6	2	रेमला / भावसिंह / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक 40 पर मकान की मुआवजा राशि 22043 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए के प्रकरण 14846 आदेश दि. 08. 05.06 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
7	3	कालू / मोती / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक मुआवजा गणना पत्रक 27 पर मुआवजा राशि 34873 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20738 दि. 17.06.09 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
8	9	बसुसिंह / जबरासिंह / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा गणना पत्रक क्र. 1 पर मकान की मुआवजा राशि 31569 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20780 आदेश दि. 19. 06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
9	8	अनिताबाई / बद्दीलाल / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक की माँ को मुआवजा गणना पत्रक क्र. 14 पर मकान की मुआवजा राशि 42797 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20032 आदेश दि. 17. 06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

10	781	कालू / नरसिंग / रामपुरा	प्लॉट देने बाबत	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 27 पर मकान की मुआवजा राशि 26316 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प. क्र. 31 पर अन्य मजदूर के रूप में राशि 76850 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई इसलिए भूखंड की पात्रता नहीं।	
11	699	विक्रम / औघड़िया / रामपुरा	अनुदान एवं मकान के मआवजा संबंधी	आवेदक एफआरएल ग.प.क्र. 26 मकान की मुआवजा राशि 43328 तथा पुन. अनु.ग.प.क्र. 30 पर कृषक के रूप में 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	मुआवजा शासन के नीति एवं निर्देशों के तहत निर्धारित किया गया।	
12	5	रायसिंह / जोत्या / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क्र. 19 पर मकान की मुआवजा 19633 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए के प्रकरण क्र. 20781 दि. 19.06.09 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
13	766	सरदारसिंह / गुलाबसिंह / रामपुरा	प्लॉट देने बाबत	आवेदक को बालिक पुत्र के रूप पुन. अनुदान ग.प.क्र. 22 पर अन्य मजदूर के रूप में राशि 76850 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई इसलिए भूखंड की पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

14	606	गणपत / गोकुल / रामपुरा	विस्थापित परिवार के सदस्यों को मकान मुआवजा व अनुदान राशि व प्लॉट प्रदाय करने बाबत	मुआवजा गणना पत्रक क्र. 39 पर मकान की मुआवजा राशि 12287 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
15	7	गलाल / जोत्या / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	मुआवजा गणना पत्रक क्र. 21 पर मकान की मुआवजा राशि 28509 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र.1 13969 आदेश दि. 02. 05.06 द्वारा पुनर्वास अनुदान अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
16	708	रमेश / रामकरण / रामपुरा	अनुदान एवं भूखंड संबंधी	आवेदक को पुन.अनु. गणना पत्रक क्र. 29 पर में अ.म. के रूप में राशि 71850 स्वीकृत कर भुगतान की गई है एवं जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20739 आदेश दि. 17.03.09 के अनुसार कृ० म० के रूप 16150 रु. अंतर राशि का भुगतान किया गया।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई है। अतः भूखंड की पात्रता नहीं	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पूनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

17	709	रामकरण / फत्तु / रामपुरा	अनुदान, भूखंड एवं मकान के मुआवजे संबंधी	आवेदक को मुआवजा ग.प. क्र. 28 पर मकान की राशि 18825 निर्धारित कर भुगतान की गई है तथा पुन.अनु. गणना पत्रक क्र. 29 पर में अ. म. के रूप में राशि 71850 स्वीकृत कर भुगतान की गई है एवं जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20740 आदेश दि. 16.02.09 के अनुसार कृ० म० के रूप 16150 रु. अंतर राशि का भुगतान किया गया।	—	मुआवजा राशि का निर्धारण शासन के नीति निर्देशों के तहत किया गया। आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि प्राप्त कर ली गई। भूखंड की पात्रता नहीं	
18	719	दिनेश / रामकरण / रामपुरा	अनुदान राशि व भूखंड प्लॉट	आवेदक को पुन.अनु. गणना पत्रक क्र. 29 पर में अ.म. के रूप में राशि 71850 स्वीकृत कर भुगतान की गई है एवं जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20736 आदेश दि. 16.02.09 के अनुसार कृ० म० के रूप 16150 रु. अंतर राशि का भुगतान किया गया।	—	मुआवजा का निर्धारण शासन के नीति निर्देशों के तहत किया गया। आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई इसलिए भूखंड की पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

19	720	सुरेश / औधड़िया / रामपुरा	भूखंड, अनुदान एवं भूमि का मुआवजा संबंधी	आवेदक के पिता एफआरएल कृषि ग.प. क्र. 4 पर भूमि की मुआवजा राशि 42507 निर्धारित कर भुगतान किया गया है। पुन.अनु. गणना पत्रक क्र. 29 पर में कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई है भूखंड की पात्रता नहीं।	
20	764	गुलाबसिंह / अमानसिंह / रामपुरा	प्लॉट लेने बाबत	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 15 पर मकान की मुआवजा राशि 81916 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प. क्र. 22 पर अन्य मजदूर के रूप में राशि 76850 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक द्वारा भूखंड के बदले नगद राशि 20000 प्राप्त कर ली गई इसलिए भूखंड की पात्रता नहीं।	
21	765	ललिता / गुलाबसिंह / रामपुरा	अनुदान देने बाबत	आवेदक के पिता कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 15 पर मकान की मुआवजा राशि 81916 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम परिवार के सूची के सरल क्र. 20 पुत्री के रूप में उर्म-17 अवयस्क अंकित होने पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**डूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	---	--	------------------

**ग्राम का नाम : रामपुरा आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

22	740	कैलाश / नक्कु / रामपुरा	अनुदान एवं प्लॉट देने बाबत	आवेदक के पिता के नाम से मुआवजा गणना प.क्र.19 पर मकान की मुआवजा राशि 77947 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम परिवार सूची में आवेदक का नाम सरल क्र. 22 पर पुत्र के उम्र-17 वर्ष अवयस्क के रूप दर्ज है। अतः पात्रता नहीं	
23	759	सुमेरसिंह / मिट्टू / रामपुरा	प्लॉट एवं अनुदान देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा गणना पत्रक क्र. 12 पर मकान की मुआवजा राशि 27542 निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक का	—	आवेदक को नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	
24	6	विक्रम / रायसिंह / रामपुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक के पिता को मकान का मुआवजा गणना पत्रक क्र. 19 राशि 19633 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जीआरए के प्रकरण क्र. 27417 आदेश दि. 18. 06.09	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।	